राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01282/2023

पूजा कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.04.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रायपुर खुर्द, भट्‌टपुरा, नगर, भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 2017 में अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर 2019 से निरंतर कार्यरत है। अपीलार्थी के पति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की बच्ची विकलांग है तथा अपीलार्थी की सास–ससुर वृद्धावस्था में है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी स्वयं पर है। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 27.02.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2023 का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण किए जाने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी के द्वारा दी गई रिक्त पदों की सूची के अनुसार अपीलार्थी को नियुक्त दिए जाने के आदेश दिए जाए।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रायपुर खुर्द, भट्टपुरा, नगर, भरतपुर कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2023 का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना चाहेगें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य